



चेन्नई मद्रास उच्च न्यायालय ने आज 'जी न्यूज' और 'न्यूज नेशन' चैनलों पर भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी

के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी-फ्रिक्सिंग प्रकरण में कथलि संलपितता से संबंधति कसी भी खबर के प्रसारण पर रोक लगा दी

न्यायमूर्ति स तमलिवनान ने जी मीडिया करपोरेशन के खिलाफ धोनी द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये मानहानि के मुकद्दमे पर अंतरिम आदेश पारति किया यह अंतरिम आदेश दो हफ्ते तक प्रभावी रहेगा धोनी ने जी मीडिया करपोरेशन पर कथति रूप से 'दुर्भावनापूर्ण' खबरों जैसे कि वह आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी, स्पॉट और मैच फ्रिक्सिंग में शामिल है, के प्रसारण केलयि 100 करोड़ रुपये के हरजाने की मांग की

न्यायाधीश ने धोनी के हलफनामे के अवलोकन के बाद अपने आदेश में कहा, "मेरा वचिर है कि यह एक प्रथम दृष्टया मामला है और यह शकियतकर्ता के पक्ष में है इसलयि दो हफ्ते केलयि अंतरिम आदेश दिया जा रहा है "

अदालत ने जी मीडिया करपोरेशन लमिटिड, जी न्यूज के संपादक और बजिनेस प्रमुख सुधीर चौधरी, शुरू में आईपीएल सट्टेबाजी प्रकरण की जांच करने वाले आईपीएल स अधिकिरी जी सम्पत कुमार और न्यूज नेशन नेटवर्क प्राइवेट लमिटिड के नोटिस जारी किये

धोनी ने याचकि में कहा कि ये चैनल 11 फरवरी 2014 से दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक और झूठी रिपोर्ट और बयान दिखा रहे हैं

याचकि में कहा गया है कि जी मीडिया करपोरेशन लमिटिड (जी न्यूज) तथा सम्पादक और बजिनेस प्रमुख सुधीर चौधरी आईपीएल स सम्पत कुमार के साथ मलिक अपने चैनल और अपनी वेबसाइट पर धोनी के कथति रूप से सट्टेबाजी, मैच फ्रिक्सिंग और स्पॉट फ्रिक्सिंग की गैर कनूनी गतिविधियों में शामिल होने की खबर प्रसारति और पोस्ट कर रहे हैं

हलफनामे के अनुसार न्यूज नेशन नेटवर्क प्राइवेट लमिटिड (न्यूज नेशनल चैनल) भी धोनी के खिलाफ मुहमि भी शामिल हो गया और उसने यहां तक कह दिया कि धोनी के तमलिनाडु पुलिस ने समन भेजा है और इस हलफनामे के अनुसार यह पूरी तरह से झूठी बात थी

इसमें कहा गया कि ये सभी कम इस इरादे से किये गये कि लोग धोनी से नफरत करें और आम जनता उनकी हंसी उड़ाने।

हलफनामे में दावा किया गया है कि आम जनता विशेषकर चेन्नई में चेन्नई सुपरकिंग्स के आईपीएल प्रशंसकों पर इस दुर्भावनापूर्ण झूठी रिपोर्ट से नकारात्मक असर पड़ा रहा है।

इनका अन्तर्गत में जेंडा पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रशंसकों की नज्द में धोनी की प्रतिष्ठा को किसी तरह बदनाम करना और नुकसान पहुंचाना है।

हलफनामे में कहा गया है कि इन सभी को मलिक 100 करोड़ रुपये का हरजाना देना होगा।

(भाषा)